लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मिलेगा सहायक, आवेदक नहीं छू सकेंगे कम्प्यूटर स्क्रीन -परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ने जारी किए निर्देश

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-17-03-2020-3.docx (http://103.203.138.54/news/195279/document/LK-17-03-2020-3.docx)

DESCRIPTION

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मिलेगा
सहायक, आवेदक नहीं छू सकेंगे कम्प्यूटर स्क्रीन
-परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ने जारी किए निर्देश

जयपुर, 18 मार्च। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव श्री रवि जैन ने प्रदेश के सभी आरटीओ एवं डीटीओ को निर्देश जारी किए हैं कि चालक लाइसेंस लेने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व यातायात नियमों की जानकारी का कम्प्यूटर स्क्रीन पर लिया जाने वाला टेस्ट एक सहायक कर्मचारी के माध्यम से ही दिलाया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में आवेदक को कम्प्यूटर स्क्रीन टच करने की अनुमति नहीं दी जाए।

नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे विविध उपायों की कड़ी में बुधवार को निकाले गए इस आदेश में कहा गया है कि कप्यूटर स्क्रीन पर लिए जाने वाले टेस्ट के लिए विभाग की ओर से ही एक सहायक जैसे परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप निरीक्षक अथवा सूचना सहायक उपलब्ध कराया जाए। यह सहायक आवेदक द्वारा चुने गए विकल्प को कम्प्यूटर स्क्रीन पर बटन दबाकर दर्ज करेगा।

इस सहायक को उचित मानक का मास्क पहनना होगा एवं हाथों में दस्ताने भी पहने होने चाहिए। श्री जैन ने बताया कि लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले आवेदकों के लिए प्राप्त मात्रा में सेनेटाइजर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी भी स्थिति में परिवहन कार्यालय में एक ही स्थान पर अधिक स्ांख्या में लोग एकत्रित नहीं हों।

परिवहन आयुक्त ने अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों द्वारा जारी किए जाने वाले लर्निंग लाइसेंस के सम्बन्ध में संचालकों द्वारा संक्रमण से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव सम्बन्धी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूचना को कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने के लिए सभी आरटीओ-डीटीओ को निर्देशित किया है। आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी आरटीओ-डीटीओ अग्रिम आदेशों तक इन निर्देशों की पालना करेंगे एवं 24 घंटे की अवधि में फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप के द्वारा ईमेल पर कार्यवाही से परिवहन मुख्यालय को अवगत कराएंगे।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **18/4/2020**
You are visitor No.:

001688815

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) | Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) |

Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

Nodal Officer: **Sh. Arun Kumar Joshi**
Designation : Joint Director(News)
Mobile Number : 9610409010
Email: dpr-comp-rj@nic.in